स्थायी आदेश कमांक 43 दिनांक 16.1.03 द्वारा श्री डी.आर.रमेश सिहं, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन परिमण्डल, हरियाणा, पंचकूला ।

1. वन राजिक अधिकारी, उत्पादन यह सुनिश्चित करेंगे कि दिन के दौरान हुई कटाई का ब्यौरा डी0एल0फार्म-1 में प्रत्येक दिन पूर्ण करेंगे तथा पाक्षिक चैकिंग रिपोर्ट के साथ सत्यापन करके मण्डल कार्यालय में भेजेंगे तथा वन मण्डल अधिकारी इसे संकलित करके परिमण्डल कार्यालय को भेजेंगे ।

2. वन उपज की नीलामी करने वाला सक्ष्म-अधिकारी नीलामी की बिक्री सूची उच्चतम तथा दूसरे उच्चतम बोली देने वाले संविदाकारों से हस्ताक्षरित करवाकर नीलामी पूर्ण होने के अगले दिन परिमण्डल कार्यालय में भेजेंगे ।

3. प्रजातिवार, साईजवार व उपज की गुणवत्तावार नीलामी से पूर्व वन मण्डल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन से माहवार वन उपज की आरक्षित दर जिलावार अनुमोदित करवायेंगे ।

4. वन राजिक अधिाकारी, उत्पादन, पक्ष में चार कटाई क्षेत्रों का तथा दो बिक्री डिपुओं का निरीक्षण करेंगे । प्रजातिवार स्टैंडिंग वाल्यूम काटने के पश्चात् परिवर्तित वाल्यूम श्रेणीवार की सूचना व बिक्री डिपुओं में उपलब्ध वन उपज का ब्यौरा मण्डल कार्यालय को उसी पक्ष में देंगे ।

वन मण्डल अधिकारी दो कटाई क्षेत्रों तथा एक बिक्री डिपु की निरीक्षण रिपोर्ट प्रति माह परिमण्डल कार्यालय में भेजेंगे । रिपोर्ट में किसी एक क्षेत्र का टैस्ट - कन्वर्शन के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा ।

5. कटाई से सम्बन्धित सभी साक्षान्कित प्रपत्र मण्डल कार्यालय वन राजिक अधिकारी, उत्पादन को जारी करेगा । जारी किये गये प्रपत्रों का अभिलेख मण्डल कार्यालय में रखा जाये ।

6. ब्याना राशि, बिक्री व आयकर को छोड़ कर वन उपज की बिक्री से प्राप्त राशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफट के रूप में या सरकारी ट्रेजरी चालान द्वारा ही प्राप्त करेंगे ।

Ramphalmajithia

7. उपरोक्त ड्राफट व चालान द्वारा प्राप्त धन राशि का समायोजन उसी माह के दौरान ट्रेजरी अधिकारी से सत्यापित करवायेंगे ।

8. वन उपज की ढुलाई के समय सम्बन्धित वन रक्षक व वन दरोगा से जारी किया गया रवाना चालान का वन उपज के साथ होना जरूरी होगा ।

9. वन मण्डल अधिकारी, उत्पादन कार्य को अपने अधीनस्थ वन रक्षक या वन दरोगाओं में समान रूप से बांट कर करवायें जिससे एक कटाई ईंचार्ज के पास बोझ न पड़े जिससे हर दिन कटाई का अभिलेख पूरा हो सके ।

10. बिक्री डिपुओं का सृजन करने से पहले परिमण्डल कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । भविष्य में बनाये जाने वाले सभी डिपू नियमित वन कर्मियों के अधीन ही बनाये जायेंगे । कटाई व डिपो अलग-अलग कर्मचारियों के नियंत्रण में रहेगा ।

11. नीलामी विज्ञापन आपके पास उपलब्ध संविदाकारों की सूची में दर्शाए गए सभी संविदाकारों को समय पर भेजें तथा मण्डलीय व रेंज कार्यालयों के सूचना पट पर लगाये जायें ।

12 नीलामी विज्ञापन प्रतिमाह हिन्दी/अंग्रेजी अखबारों में देंगे ।

13. प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत संविदाकार से रूपये 2000/- प्रति संविदाकार लेकर पंजीकृत करेंगे । वन मण्डल अधिकारी द्वारा ऐसे संविदाकारों को परिमण्डल कार्यालय से पंजीकरण संख्या अलॉट करवानी होगी व पंजीकरण के बारे अन्य उत्पादन मण्डल व वन विकास निगम के कार्यालय को सूचित करेंगे ।

मुख्य वन संरक्षक,उत्पादन परि.
हरियाणा, पंचकूला ।

पृ. क्रमांक/ 1957-62 दिनांक/ 16-1-2003

इसकी एक प्रति :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,हरियाणा को दो प्रति अनुलग्नक सहित अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।
2. मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला ।
3. सर्व वन मण्डल अधिकारी, उत्पादन को सूचनार्थ प्रेषित है ।

मुख्य वन संरक्षक,उत्पादन परि.,
हरियाणा, पंचकूला ।